बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सू०सं०–भवन / 11 / निग०(किशनगंज)–02 / 2012.......10705(भ)/ पटना, दिनांक– 30.11.17

:: अधिसूचना ::

श्री रमेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उनके भवन अंचल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में विभागीय पत्रांक–3761(भ0) दिनांक–15.5.2012 द्वारा निदेश दिया गया था कि निगरानी थाना काण्ड संख्या–022 / 2012 दिनांक–15.02.2012 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री रंजीत सिंह, वरीय लेखा लिपिक–सह–रोकड़पाल, भवन प्रमंडल, किशनगंज को निगरानी ब्यूरों के धावा दल द्वारा दिनांक–15.02.2012 को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप उक्त आरोप के लिये तुरंत निलंबित किया जाय एवं जमानत पर रिहा होने के पश्चात इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. श्री रंजीत सिंह कारा में रहते हुये दिनांक–30.09.2012 को सेवानिवृत हो गये तथा दिनांक–12.10.2012 को जमानत पर रिहा हुए। विभागीय निदेशानुसार श्री सिंह के जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद श्री रमेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिए थी। किन्तु जमानत पर रिहा होने के काफी समय बाद श्री वासुदेव मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ के कार्यालय आदेश संख्या–02 / 14–सह–पठित ज्ञापांक–30 दिनांक–11.01.2014 द्वारा श्री रंजीत सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जबकि दिनांक–30.07.2013 तक श्री रमेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित थे। अतः तत्काल श्री रंजीत सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ नहीं करने के लिये श्री रमेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ से विभागीय पत्रांक–12385(भ0) दिनांक–08.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. अनेक स्मारोपरान्त लगभग दो वर्षो के बाद श्री रमेश कुमार, अधीक्षण अभियंता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–15.09.2016 समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं मानते हुये श्री रंजीत सिंह, वरीय लेखा लिपिक–सह–रोकड़पाल, भवन प्रमंडल, किशनगंज के विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही आरम्भ नहीं करने के लिये इन्हें दोषी पाया गया।

4. सम्यक विचारोपरान्त श्री रमेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (I) एवं (v) के तहत सरकार के निर्णयानुसार निम्न लघु दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) **निंदन (आरोप वर्ष–2012–13)**

(ii) **एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**

प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क0प0उ0

ज्ञापांक–भवन / 11 / निग0(किशनगंज)–02 / 2012 10706 (अ) / पटना, दिनांक– 30.11.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को बिहार राजपत्र अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / निग0(किशनगंज)–02 / 2012 10706 (अ) / पटना, दिनांक– 30.11.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन / पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / निग0(किशनगंज)–02 / 2012 10706 (अ) / पटना, दिनांक– 30.11.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता / अपर सचिव / सभी संयुक्त सचिव / प्रबंध निदेशक, बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ / राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–01 एवं 02 / निगरानी प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / निग0(किशनगंज)–02 / 2012 10706 (अ) / पटना, दिनांक– 30.11.17

प्रतिलिपिः–श्री रमेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / निग0(किशनगंज)–02 / 2012 10706 (अ) / पटना, दिनांक– 30.11.17

प्रतिलिपिः–आ0ई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।